

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 एवं स्थगित बैठक  
दिनांक 12.03.2018 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.03.2018 को सायं 4:00 बजे प्रशासनिक भवन  
के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
4.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
6.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
7.	प्रो. एम.के. सिंह	सदस्य
8.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
9.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
10.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
13.	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

**विषय क्र. 01** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि इस संशोधन के साथ की गई कि अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय में "विनियम" को स्पष्ट रूप से "छात्र परिषद् संबंधी विनियम" लिखा जाये।

**विषय क्र. 02** अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10-02-2018 के कार्यवृत्त पर विचार।

अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 10-02-2018 के कार्यवृत्त पर विचार कर निम्नानुसार निर्णय स्थायी समिति द्वारा लिया गया -

(अ) शोध अध्यादेश एवं विनियम के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

(ब) अकादमिक कैलेण्डर 2018-19 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रदत्त कार्यों को तय समयावधि में पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।

(स) VET 2018 के लिए Integrated programme के स्थान पर B.A. / B.Sc. / B.Com. के साथ विज्ञापन जारी करने अध्यादेश में संशोधन कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(द) मानदेय संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाये तथापि विषय वित्त समिति के समक्ष सूचनार्थ रखा जाये। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि देय पारिश्रमिक / मानदेय में 01 शिफ्ट की परीक्षा होने पर पर्यवेक्षकों का देयक राशि का आधी राशि (जैसे पर्यवेक्षक के रू 1000 का आधा रू 500) तथा 200 रू. परिवहन भत्ता पूरा प्रदान किया जाये। यदि किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय की ओर से वाहन प्रदान किया जाता है तो परिवहन भत्ता प्रदान न किया जाये।

213 / 3/2018  
5-03-18

Raj

(ई) प्रस्तावित दरों का अनुमोदन किया जाये तथापि विषय वित्त समिति के समक्ष सूचनार्थ रखा जाये।

**विषय क्र. 03 VET परीक्षा आयोजन हेतु प्रश्नपत्र के माध्यम पर विचार ।**

समिति ने निर्णय लिया कि वर्ष 2018 की VET पूर्व वर्षों की भांति ही करा ली जाये। सभी प्रश्न पत्रों को द्विभाषी करने की व्यवस्था वर्ष 2019 के VET में आवश्यक रूप से की जाये।

**विषय क्र. 04 कुलाधिपति पदक वितरण संबंधी विनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने कुलाधिपति पदक के लिए वितरण संबंधी विनियम में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया।

**विषय क्र. 05 M/S Envirocare Enterprises, New Delhi द्वारा सेंदरी बिलासपुर में स्थापित अवशिष्ट शुद्धिकरण यंत्र से निकले हुए पानी की जांच एवं विशेषज्ञ परामर्श हेतु किये गये निवेदन पर विचार करना।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान की जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए स्पष्ट नीति (विनियम) का निर्धारण कर लिया जाये।

**विषय क्र. 06 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के बी.टेक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों का मिड सेमेस्टर प्रेक्टिकल / सेशनल (आंतरिक) परीक्षा के संचालन/ आयोजन बाबत।**

स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि प्रभावी अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिष्ठाता अधिकृत रहेंगे। अधिष्ठाता अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, अध्यादेशों के अधीन कार्यवाही संपन्न करेंगे।

### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

अ.अ.क. 1 अधिष्ठाताओं के समिति की बैठक दिनांक 30.11.2016 के कार्यवृत्त में आ रही परेशानी का निराकरण करते हुए निर्णय लिया गया कि बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही संपादित किया जाये

अ.अ.क. 2 Chair के सृजन संबंधी प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि UGC द्वारा जिन चेयर्स के सृजन के प्रस्ताव मंगाये जाते हैं उन्ही चेयर्स के प्रस्ताव बनाकर सृजन संबंधी कार्यवाही की जाये।

अ.अ.क. 3 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विज्ञापित पदों की अर्हता के पुनर्निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है। अतः UGC एवं AICTE के प्रावधानों के प्रकाश में अर्हता संबंधी उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक समिति गठित की जाये। समिति के सदस्य नामित करने हेतु कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

अ.अ.क. 4 विकलांग छात्रों एवं उम्मीदवारों को लेखन सहायक प्रदान करने की आवश्यकता होती है और उन्हें पारिश्रमिक दिया जाना उचित प्रतीत होती है। अतः पारिश्रमिक प्रदान किये जाने के प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष रखा जाये।





विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की दिनांक 09.03.2018 की स्थगित

बैठक दिनांक 12.03.2018 का कार्य विवरण

अ.अ.क. 5

CBCS प्रणाली के तहत प्रस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण पर विचार।

विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.7.2009 में अनुमोदित 34 प्रथम अध्यादेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अगस्त 2009 में प्रेषित किया गया था, परन्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इन अध्यादेशों पर तत्समय किसी प्रकार के अनुमोदन या अनापत्ति संबंधी जानकारी नहीं भेजी गयी थी। अतः भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की अनुमति हेतु पुनः 34 अध्यादेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित किये गये थे। उनमें से अध्यादेश क्रमांक 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19 एवं 21 पर पर अन्य अध्यादेशों के साथ-साथ कतिपय टिप्पणियां अंकित कर सुधार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्देशित किया था। उक्त टिप्पणियों के आधार पर संबंधित विभागाध्यक्षों से परामर्श उपरांत अधिष्ठाताओं के द्वारा अध्यादेशों को पुनः प्रारूपित किया गया है। यह भी कि वर्तमान में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में UGC द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर CBCS प्रणाली लागू हो चुकी है। अतः उक्त अध्यादेशों का CBCS प्रणाली के अनुरूप प्रारूपण किया गया है।

यह भी कि विश्वविद्यालय के सक्षम सांविधिक निकायों के द्वारा वर्तमान में प्रचलित पंचवर्षीय एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से समाप्त करते हुए 3 वर्षीय स्नातक (आनर्स) पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त 3 वर्षीय (6 सेमेस्टर) अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए सत्र 2018-19 से प्रभावी होने वाले पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों को भी प्रारूपित किया गया।


उक्त के अनुक्रम में समिति द्वारा निम्नलिखित अध्यादेशों के प्रारूपों का अनुमोदन किया गया -


1. बी. एससी0 (आनर्स )
2. बी0ए0 (आनर्स )
3. बी0 कॉम0 (आनर्स )
4. बी0एस0 डब्ल्यू0
5. बी0 एड0 / बी0 एड0 स्पेशल
6. एम0एड0
7. बी0पी0एड0
8. एम0पी0एड0
9. बी0 लिब0
10. एम0 लिब0
11. बी0 टेक
12. बी0ए0एल0एल0बी0 / बी0 कॉम एल0एल0बी0
13. बी0एससी0 (फारेस्ट्री )

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि बी0फार्म0 का अध्यादेश जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है में भी आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं ताकि PCI द्वारा जारी B.Pharm एवं M.Pharm के नवीन विनियम को अध्यादेश में समाहित किया जा सके। अतः संशोधित B.Pharm अध्यादेश के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पंचवर्षीय एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के अधीन सत्र 2017-18 तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर नवीन अध्यादेश लागू नहीं होंगे तथा ऐसे प्रवेशित छात्र एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि पूर्ण होने तक इससे संचालित होंगे। उक्त पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के उपरांत एकीकृत UG/PG पाठ्यक्रमों के अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

  
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

  
कुलपति / अध्यक्ष